भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2399
उत्तर देने की तारीख : 08 जुलाई, 2019

अध्येतावृत्ति योजना

2399. श्री टी.एन. प्रथापन :
श्री एस. ज्ञानतिरावियम :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश के पारंपरिक कला रूपों के पुनरुद्धार हेतु वैयक्तिक रचनात्मक प्रयासों को उन्नत प्रशिक्षण देने के लिए आधारभूत वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने हेतु वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति योजना का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संस्कृति के क्षेत्र में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्रदत्त वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्तियों में शामिल महिलाओं की संख्या न्यूनतम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'संस्कृति से संबंधित नए क्षेत्र' से संबंधित वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्तियों में शामिल श्रेणियों की प्रकृति में विस्तार-संभव है; और

(घ) मान्यता हेतु संस्कृति में और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए या प्रस्तावित हैं?

उत्तर
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)
संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(क) : संस्कृति मंत्रालय संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक शोध हेतु उत्कृष्ट व्यक्तियों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां प्रदान करने हेतु स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में सांस्कृतिक शोध हेतु 25 से 40 वर्ष के आयु समूह (कनिष्ठ) और 40 वर्ष से ऊपर (वरिष्ठ) की आयु के उत्कृष्ट व्यक्तियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए कनिष्ठ/वरिष्ठ अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। विगत तीन वर्षों के

दौरान, तमिलनाडु सहित राज्य-वार वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्तियों के ब्यौरे से संबंधित तालिका अनुलग्नक में दी गई है।

(ख) : वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां सभी के लिए खुली हैं और महिलाओं के लिए कोई विशिष्ट कोटा नहीं है।

(ग) और (घ) : जी, हां। स्कीम के दिशा-निर्देशों में 'नए क्षेत्रों' में उल्लिखित श्रेणियां विस्तार योग्य प्रकृति की हैं और संस्कृति से संबंधित विभिन्न विषयों को अनेक प्रकार से कवर करती हैं। अभिनव और अनुप्रयोग उन्मुखी विशेषकर अंतर्विषयक शोध प्रस्तावों पर स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार विचार किया जाता है। और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक

दिनांक 08 जुलाई, 2019 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2399 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति के तहत लाभाविन्त व्यक्तियों की कुल संख्या का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रदान की गई अध्येतावृत्ति की संख्या		
		2016-17	**2017-18**	**2018-19**
1	आंध्र प्रदेश	02	04	06
2	अरुणाचल प्रदेश	01	01	--
3	असम	13	18	23
4	बिहार	08	12	13
5	छत्तीसगढ़	07	09	06
6	दिल्ली	30	43	50
7	गुजरात	06	04	09
8	गोवा	01	02	01
9	हरियाणा	07	07	11
10	हिमाचल प्रदेश	00	00	01
11	जम्मू और कश्मीर	01	07	03
12	झारखंड	04	08	09
13	कर्नाटक	16	15	26
14	केरल	15	23	21
15	मध्य प्रदेश	24	22	24
16	महाराष्ट्र	29	34	33
17	मणिपुर	13	14	19
18	मेघालय	00	00	01
19	नागालैंड	00	00	01
20	ओडिशा	33	35	41
21	पंजाब	04	02	04
22	पुदुचेरी	00	03	02
23	राजस्थान	11	11	09
24	तमिलनाडु	03	06	05
25	तेलंगाना	09	04	07
26	त्रिपुरा	01	04	02
27	उत्तर प्रदेश	39	30	42
28	उत्तराखंड	05	05	04
29	पश्चिम बंगाल	29	40	23
30	चंडीगढ़	--	--	01
	कुल	**311**	**363**	**397**